



DrGenius Academy Welcomes You

Let's Begin Journey Together
And Achive Dream
Together

Dr Surendra Dhiwa

Educator

(Law | Public administration and management)

(Polity and IR | Audit and Accounting)



नियम → 7 ⇒ काली सूची

नियम 8 ⇒ इन मामलों पर पर्याप्त नियंत्रण का अभाव होने और नमूने तथा विनियमितियों के अनुरूप प्रदाय सुनिश्चित करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनार जाएगी →

(i) निरीक्षण

(ii) उपस्थित रूप से उत्तरदायी

(iii) नमूने को उठाकर देखेंगे। व्यावहारिक परीक्षण -

(iv) उठायी गई वस्तुओं की संख्या \rightarrow प्रदाय के 10% से कम नहीं होनी चाहिए

(v) जब प्रदाय \rightarrow समझाने पर हो \Rightarrow बोर्ड के रजिस्टर में चढ़ाया जाएगा

(vi) यदि प्रदाय \rightarrow नमूने के अनुरूप $\times \Rightarrow$ या तो प्रदाय अस्वीकार स्वीकार/अस्वीकार \rightarrow प्रदाय प्राप्त के अधिकतम 1 सप्ताह के भीतर

नियम 9 ⇒ विज्ञापित मांगों के प्रति निविदा प्रूपों के प्रकार निम्न स्केल के अनुसार होंगे: -

निविदा का अनुमानित मूल्य	निविदा प्रूप का प्रकार (₹)
(i) 10 लाख	20
(ii) 10 लाख - 1 लाख	50
(iii) 1 लाख - 5 लाख	100
(iv) 5 लाख - 100 लाख	200
(v) 100 लाख से ज्यादा	500

नियम 10 \Rightarrow लोक निर्माण कार्यो की निविदाएं आयोजित करने हेतु समयवधि —

- | | | | |
|-------|-----------------------------|-------|--------|
| (i) | 1 लाख तक की लागत वाले कार्य | — | 7 दिन |
| (ii) | 1 लाख — 10 लाख | " | 10 दिन |
| (iii) | 10 लाख — 100 लाख | " | 15 दिन |
| (iv) | 100 लाख से ज्यादा लागत | ————— | 30 दिन |

नियम 11 \Rightarrow

संक्रमों। सामग्री का अनुमानित मूल्य

प्रचार का ढंग

① 20,000/- से कम

स्थानीय दैनिक / साप्ताहिक / कालिक
सामाचार पत्रों में से एक में जो राज्य
सरकार द्वारा अनुमोदित है

② 20,000 - 10 लाख तक

राजस्थान का एक प्रमुख दैनिक

③ 10 लाख से ज्यादा

राज्य भर में परिचालन वाला दैनिक

+

एक अखिल भारतीय सामाचार पत्र में भी

नियम 12 →

नियम 13 →

नियम 14 → सक्षम स्वीकृति आवश्यक →

(i) नगर निगम के मामले में :-

- (a) 10 लाख तक का व्यय → 20% मिश्रित
- (b) 100 " " " → CEO
- (c) 200 लाख " " → महापौर
- (d) 500 लाख " " → वित्त समिति-
- (e) बजट के प्रावधान तक पूर्ण शक्ति प्राप्ति → नियम

नगर परिषद के मामले में →

- (a) 2 लाख तक का व्यय — आयुक्त
- (b) 5 " " " " → अध्यक्ष
- (c) 100 लाख तक का व्यय → निम्न समिति
- (d) बजट के प्रावधान तक पूर्ण शक्तियाँ → परिषद

नगर पालिका बोर्ड के मामले में →

- (a) 1 लाख तक का व्यय → E.O
- (b) 25 लाख " " " → सभापति
- (c) 50 लाख " " " → निम्न समिति

कार्य, निर्धारित संपदावधि के भीतर पूरा किया जाएगा -

- (a) 5 लाख तक की लागत का कार्य - 1 माह
- (b) 5 लाख - '10 लाख' " " - 2 माह
- (c) 10 लाख - 50 लाख " " - 4 माह
- (d) 50 लाख - 100 " " - 6 माह
- (e) 100 लाख से अधिक की लागत " " - जैसा कि बोर्ड
युक्तिरहित करे

नियम 15 → अनुमानों का अनुमोदन तथा बिलों का परीक्षण →

- ① सरकार द्वारा गठित तकनीकी समिति - पूर्ण शक्ति
- ② अधीक्षण प्राधिका (संबंधित मंत्रालय) — 150 लाख
निकाय / निर्देशक स्थायी निकाय
- ③ प्राधिका अधिका — 50 लाख
- ④ सहायक " — 5 लाख
- ⑤ कनिष्ठ " — 1 लाख

नियम 15 →

नियम 17 → निविदा के प्रकाश →

राजस्थान नगरपालिका (कार्य संचालन) नियम 2009

① संश्लेषण नाम तथा शरंभ →
↓
→ 11/11/2009

② पारभाषण →

③ नगरपालिका के बैठक →

④ बैठक की सूचना →

नियम 5 → बैल्क की कार्य सूची →

नियम 6 → परत →

नियम 7 → बैल्क में गणपूर्ति → $\frac{1}{3}$

नियम 8 → गणपूर्ति के प्रभाव में बैल्क का स्थानित होना -

नियम 9 → विनिश्चय → बहुमत द्वारा

नियम 10 → मत के लिए कोई प्रस्ताव रखने का ढंग →

- 11) खैबक का कार्यवृत्त - प्राञ्जलेखन - देवनागरी लिपि
हिन्दी भाषा
- 12) खैबले पा कतिपय निरन्धन -
- 13) भाषणों के अवधि -
- 14) लक्ष कौरि लक्ष्य खैबक में निपाराधीन विषय में धनीय
हित रखता हो, तब की प्रक्रिया -
- 15) दिन के कार्य का क्रम ->

विषय 16 → बैंक में किए जाने वाले कार्य →

17) → बैंक का निबंधन →

18) व्यवसाय धनाए रखना →

19) बैंक में विशेषज्ञों को चुनने की शक्तियां →

20) → राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार बैंक आइत करना या किसी मामले को कार्यपूची में शामिल करना →

२१) → नगरपालिका की कार्यवाहियों व अभिलेखों की अभिरक्षा →

२२) निरस्त → १९७५

राजस्थान नगरपालिका (समितियों की शक्तियाँ, कल्याण व कृत्य) नियम, 2009



① संक्षिप्त नाम व प्रारंभ → 23/12/09

② परिभाषा →

Act की
धारा 55, 61
4
337 की
शक्तियों का
प्रयोग कृत
हूँ

③ सामिति का मत → लाघरग अंक दे

④ सामिति की शक्ति, कर्तव्य व कृत्य →

① कार्यपालक समिति →

- (i) कक्षा 71, 73, 74, 106, 118, 152-156, 173-176, 198, 199, 240, 241, 255-257, 274, 285, 334, 335

6) विज्ञान समिति :-

(i) प्राध. की धारा → 80-96, 98-100, 101, 104, 105, 108,
148, 150, 296

(ii) बजट

(iii) करारोपण

(iv) करो की कमिटी के संबंध में बोर्ड के अन्य
कृत्य

ॐ संरक्षण व समिति →

(i) धारा 200, 201, 204-211, 214-218, 221, 222,
226-235, 242, 247-251, 254, 255.
257-271, 273-283

(ii) संरचना → 292, 293, 294

ॐ भवन अनुशा व संरक्षण समिति

(i) धारा 75, 152, 153, 167-172, 177-197,
219, 220, 236-239, 243-246, 252,
253, 287-290

(ii) भवन निर्माण व भूतल संशोधन हेतु अनुसूचा -
धारा 292, 293, 294

(e) कृषि वस्ती सुधार कानून

(f) नियम व उपविधि समिति -

(i) धारा 303, 339, 341

(ii) - पत्रालयों से संबंधित पत्रालय

(g) अपराध शोधन व समझौता → 299, 306

(h) ⇒ धारा 55 (3) (vii) → अन्वयविधियाँ

नियम 5 → नि लोपित

नियम 6 → निरसन → 1996 ✗





THANK YOU

For Join Our Session



 +91-9636280355

www.drgenius.academy.com

